



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012021-224218
CG-DL-E-06012021-224218

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]
No. 44]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2021/पौष 15, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2021/PAUSHA 15, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

का.आ. 45 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के उधमपुर जिले में NH-244 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.4.862 (सुद्धमहादेव टनल & इतस एप्रोच रोड सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक

पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के उधमपुर जिले में NH-244 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.4.862 (सुद्धमहादेव टनल & इतस एप्रोच रोड सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: उधमपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चेनानी					
गांव का नाम: बाछल					
1	580	निजी	एग्रीकल्चर	1.1443340(हेक्टेयर)	1.1443340
2	582	निजी	एग्रीकल्चर	0.8475900(हेक्टेयर)	0.8475900
3	608	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.2097020(हेक्टेयर)	0.2097020
4	615	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.3422940(हेक्टेयर)	0.3422940
गांव का नाम: कटवाल्					
1	401	निजी	एग्रीकल्चर	0.2657090(हेक्टेयर)	0.2657090
2	404	निजी	एग्रीकल्चर	0.1041270(हेक्टेयर)	0.1041270
3	478	निजी	एग्रीकल्चर	0.1082530(हेक्टेयर)	0.1082530
4	478	सरकारी	कल्टिवेबल	0.0458590(हेक्टेयर)	0.0458590
5	479	निजी	एग्रीकल्चर	0.7755150(हेक्टेयर)	0.7755150
6	569	निजी	एग्रीकल्चर	0.0102760(हेक्टेयर)	0.0102760
7	570	निजी	एग्रीकल्चर	0.1443980(हेक्टेयर)	0.1443980
8	577	अन्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.0390440(हेक्टेयर)	0.0390440
9	579	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.6196550(हेक्टेयर)	0.6196550
10	583	निजी	एग्रीकल्चर	0.3111020(हेक्टेयर)	0.3111020
11	584	निजी	एग्रीकल्चर	0.0577650(हेक्टेयर)	0.0577650
12	585	अन्य	नॉन एग्रीकल्चर	1.1435310(हेक्टेयर)	1.1435310
13	587	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.1271540(हेक्टेयर)	0.1271540

14	588	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.8300710(हेक्टेयर)	1.8300710
15	589	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0984580(हेक्टेयर)	0.0984580
16	590	निजी	एग्रीकल्चर	0.5173870(हेक्टेयर)	0.5173870
17	591	निजी	एग्रीकल्चर	0.4269430(हेक्टेयर)	0.4269430
18	592	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.2896540(हेक्टेयर)	0.2896540
19	593	अन्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.0583800(हेक्टेयर)	0.0583800
20	594	निजी	एग्रीकल्चर	0.8030890(हेक्टेयर)	0.8030890
21	595	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0711750(हेक्टेयर)	0.0711750
22	608	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0074950(हेक्टेयर)	0.0074950
गांव का नाम: सुद्धमहादेव					
1	343	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.2101770(हेक्टेयर)	0.2101770
2	344	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.1473550(हेक्टेयर)	0.1473550
3	345	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.1776650(हेक्टेयर)	0.1776650
4	Underground	सरकारी	अंडरग्राउंड टनल	27.6654600(हेक्टेयर)	27.6655000
कुल				38.5996	38.5997

[फा. सं. NHIDCL/PMU-JMU/S-D Tunnel/LA/2020-21/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2021

S.O. 45(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (two lane with paved shoulder), maintenance, management and operation of NH-244 in the stretch of land from Km 0.000 to Km 4.862 (Sudhmahadev Tunnel & its Approach Road Section) in the district of UDHAMPUR in the state of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner Udhampur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-244 in the stretch of land from Km 0.000 to Km 4.862 (Sudhmahadev Tunnel & its Approach Road Section) in the district of UDHAMPUR in the state of JAMMU & KASHMIR

State: JAMMU & KASHMIR			District: UDHAMPUR		
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Chenani					
Village: Bachhal					
1	580	Private	Agriculture	1.1443340(Hectare)	1.1443340
2	582	Private	Agriculture	0.8475900(Hectare)	0.8475900
3	608	Government	Non-Agriculture	0.2097020(Hectare)	0.2097020
4	615	Private	Non-Agriculture	0.3422940(Hectare)	0.3422940
Village: Katwalt					
1	401	Private	Agriculture	0.2657090(Hectare)	0.2657090
2	404	Private	Agriculture	0.1041270(Hectare)	0.1041270
3	478	Private	Agriculture	0.1082530(Hectare)	0.1082530
4	478	Government	Cultivable	0.0458590(Hectare)	0.0458590
5	479	Private	Agriculture	0.7755150(Hectare)	0.7755150
6	569	Private	Agriculture	0.0102760(Hectare)	0.0102760
7	570	Private	Agriculture	0.1443980(Hectare)	0.1443980
8	577	Common	Non-Agriculture	0.0390440(Hectare)	0.0390440
9	579	Private	Non-Agriculture	0.6196550(Hectare)	0.6196550
10	583	Private	Agriculture	0.3111020(Hectare)	0.3111020
11	584	Private	Agriculture	0.0577650(Hectare)	0.0577650
12	585	Common	Non-Agriculture	1.1435310(Hectare)	1.1435310
13	587	Government	Non-Agriculture	0.1271540(Hectare)	0.1271540
14	588	Government	Non-Agriculture	1.8300710(Hectare)	1.8300710
15	589	Government	Non-Agriculture	0.0984580(Hectare)	0.0984580
16	590	Private	Agriculture	0.5173870(Hectare)	0.5173870
17	591	Private	Agriculture	0.4269430(Hectare)	0.4269430
18	592	Government	Non-Agriculture	0.2896540(Hectare)	0.2896540
19	593	Common	Non-Agriculture	0.0583800(Hectare)	0.0583800
20	594	Private	Agriculture	0.8030890(Hectare)	0.8030890

21	595	Government	Non-Agriculture	0.0711750(Hectare)	0.0711750
22	608	Government	Non-Agriculture	0.0074950(Hectare)	0.0074950
Village: Sudhmahadev					
1	343	Government	Non-Agriculture	0.2101770(Hectare)	0.2101770
2	344	Government	Non-Agriculture	0.1473550(Hectare)	0.1473550
3	345	Government	Non-Agriculture	0.1776650(Hectare)	0.1776650
4	Underground	Government	Underground Tunnel	27.6654600(Hectare)	27.6655000
Total				38.5996	38.5997

[F. No. NHIDCL/PMU-JMU/S-D Tunnel/LA/2020-21/3A]

RAJESH GUPTA, Director